STRIKE BY BARGEMEN OF PANAJI PORT, GOA

2988. SHRI B. K. MODAK :
SHRI P. P. ESTHOSE :
SHRI E. K. NAYANAR :
SHRI UMANATH :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bargemen in the Panaji Port, Goa went on strike on the 1st November, 1967;

(b) if so, what are their demands; and

(c) the steps taken by Government to settle the dispute ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) Yes.

(b) The demand was that the bargemen should be treated as Port and Dock Workers in order that the benefits under the Recommendations of the Central Wage Board for Port and Dock Workers as accepted by the Central Government from time to time, could accrue to them.

(c) The dispute was referred to adjudication by the Goa Administration on the 3rd November, 1967. The strike was called off on 17th November, 1967 after the employers and workmen entered into a settlement of the demands on the 15th November 1967 pending the award of the Tribunal.

पटसन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड

2989. **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उद्योग के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस मामले पर 28 अक्तूबर 1967 को नई दिल्ली में हुई पटसन संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि ऐसे भी मामले हैं जहां रोजगार-पुस्तिकाओं, गुजारे लायक मजूरी की अदायगी और श्रमिकों को स्थायी करने के सम्बन्ध में बोर्ड की सिफारिशें पूर्णत: लागू नहीं की गई हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में समिति के निष्कर्षों का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या** L.T.—1862/67**]** । इन निष्कर्षों को राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है, जिसके द्वारा सिफारिशों को लागू कराया जा रहा है।

बरेली में कलक्टर-बक गंज स्थित टेलीफोन केन्द्र

2990. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बरेली (उत्तर प्रदेश) में कलक्टर-बक गंज स्थित टेलीफोन केन्द्र को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उसका विस्तार करने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). कलक्टर-बक गंज में टेलीफोन सेवा 50 लाइन के एक छोटे स्वचल एक्सचेंज से प्रदान की जाती है, जिसका मूल एक्सचेंज बरेली एक्सचेंज है। 39 कनेक्शन काम कर रहे हैं। मौजूदा एक्सचेंज में आगे कोई और कनेक्शन देने की क्षमता नहीं है।